तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
08.12.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील रेस्पो. ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में मूल दावा जरिये राजीनामा निस्तारित हो चुका है। हस्तगत अपील प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। मूल दावा निस्तारित हो जाने से हस्तगत अपील प्रभाव हीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से खारिज फरमायी जावे। जवाब में वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि उसके पक्षकार उनसे सम्पर्क में नहीं है। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे। उभय पक्ष के अधिवक्तागण बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख विचारण न्यायालय के मूल दावे की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 06.07.2022 के मुताबिक वादी द्वारा विचारण न्यायालय में मूल दावा जरिये विड्रो खारिज करवाया जा चुका है। हस्तगत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध है जो दावे के निस्तारण से प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर